रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940
No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

फा.सं. पी-12021/1/2017-एनएडी (एनएससी)-6 एवं 7/एनएडी-8.— भारत सरकार उप-राष्ट्रीय लेखा समिति का एतद्वारा निम्नवत् गठन करती है:

1. प्रो. रविंद्र एच. ढोलकिया, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	अध्यक्ष (गैर-सरकारी)
2. प्रो. बिश्वनाथ गोलदर पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग	सदस्य (गैर-सरकारी)
3. श्री रमेश कोल्लि पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग	सदस्य (गैर-सरकारी)
4. डॉ ए.सी. कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर महानिदेशक, सीएसओ	सदस्य (गैर-सरकारी)

5. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) का प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य
6. प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	सदस्य
7. एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रतिनिधि	सदस्य
8. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात	सदस्य
9. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, केरल	सदस्य
10. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान	सदस्य
11. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, गोवा	सदस्य
12. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, असम	सदस्य
13. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनएडी, सीएसओ	सदस्य सचिव

2. **इस समिति के विचारणीय विषय** निम्नलिखित हैं:

क) राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) तथा जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) की तैयारी के लिए संकल्पनाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों, आंकड़ा परिपाटियों, आंकड़ा स्रोतों तथा आंकड़ा अपेक्षाओं की समीक्षा करना तथा संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित करना ।

ख) आंकडों की उपलब्धता तथा केंद्र एवं राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, देश में एसडीपी तथा डीडीपी में सुधार हेतु उपाय बताना ।

ग) राष्ट्रीय लेखा पद्धति की आवश्यकताओं की दृष्टि से, विशेषकर अगले आधार वर्ष संशोधन को ध्यान में रखते हुए, राज्य-स्तरीय वार्षिक/बैंचमार्क सर्वेक्षणों के लिए सुझाव देना।

3. यह समिति ऐसे अन्य राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर परामर्श कर सकेगी जो इस समिति में शामिल नहीं है । इस दिशा में, यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक की कार्यसूची और कार्यवृतों को सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ, उनके विचार/सुझाव/सूचना के लिए साझा कर सकेगी ।

4. इस समिति के गैर-सरकारी अध्यक्ष/सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए 3000/- रुपए प्रति बैठक की दर से शुल्क पाने के हकदार होंगे। व्यय विभाग के दिनांक 12.04.2017 के आदेश की अन्य शर्तें लागू होंगी। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय विभाग के दिनांक 14.09.2017 के आदेश से शासित होगा।

5. इस समिति के सरकारी सदस्यों के बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय का वहन उनके अपने-अपने मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किया जाएगा ।

6. यह समिति, यदि आवश्यक हो, किसी अमुक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दे पर समस्या पर परामर्श चाहने के लिए सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पूर्वानुमति से सरकारी/गैर-सरकारी व्यक्ति को सदस्य सहयोजित अथवा विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी । यदि समायोजित सदस्य/विशेषज्ञ गैर-सरकारी सदस्य है तो वह/वे उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा बैठक शुल्क आदि पाने का हकदार होगा/होंगे।

7. समिति की बैठकें के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय तथा गैर-सरकारी सदस्यों को किए जाने वाले भुगतान/प्रतिपूर्ति आदि का वहन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीएसओ, नई दिल्ली द्वारा लेखा शीर्ष 3454 (मुख्य शीर्ष) के अंतर्गत किया जाएगा।

8. यह समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वह आवश्यकतानुसार अंतरिम रिपोर्टें भी प्रस्तुत कर सकेगी।

9. इस समिति को सचिवीय सहायता राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

10. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

11. यह समन्वित वित्त प्रभाग दिनांक 12.06.2018 की डायरी संख्या 18699 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(Central Statistics Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2018

F. No. P-12021/1/2017-NAD(NSC)-6&7/NAD-8.—The Government of India hereby constitutes the Committee for Sub-National Accounts with the following composition:

1. Prof. Ravindra H. Dholakia Retired Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad	Chairperson (Non-Official)
2. Prof. Bishwanath Goldar Former Member, National Statistical Commission	Member (Non-Official)
3. Shri Ramesh Kolli Former Member, National Statistical Commission	Member (Non-Official)
4. Dr. A.C. Kulshreshtha Former ADG, CSO	Member (Non-Official)
5. Representative of National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), New Delhi	Member
6. Officer -in-Charge Department of Statistics and Information Management (DSIM), Reserve Bank of India (RBI)	Member
7. Representative of NSSO, M/o Statistics & Programme Implementation	Member
8. Director, Directorate of Economics and Statistics, Gujarat	Member
9. Director, Directorate of Economics and Statistics, Kerala	Member

10. Director, Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan	Member
11. Director, Directorate of Economics and Statistics, Goa	Member
12. Director, Directorate of Economics and Statistics, Assam	Member
13. ADG/DDG, NAD, CSO	Member Secretary

2. Following are the **Terms of Reference of the Committee**:

a) To review the concepts, definitions, classifications, data conventions, data sources and data requirements for preparation of State Domestic Product (SDP) and District Domestic Product (DDP) and to lay down revised guidelines

b) To suggest measures for improving SDP and DDP in the country taking into consideration availability of data and requirements of the Centre and States/ Union Territories.

c) To suggest State level annual/ benchmark surveys keeping in view the needs of the System of National Accounts especially in view of the next base year revision.

3. The committee may consult other States / Union Territories not included in the committee from time to time as necessary. In this direction, the Committee may share agenda and minutes of each of its meetings with all States / Union Territories for their view / suggestions / information.

4. The non-official Chairperson / members of the committee would be entitled to a sitting fee of Rs. 3000/- per day of sitting for attending the meetings. Other terms and conditions of the D/o Expenditure's order dated 12.4.2017 would be applicable. TA/DA to non-official members would be governed by the D/o Expenditure's order dated 14.9.2017.

5. The expenditure of the official members on TA/DA etc. for attending the meetings of the Committee will be borne by their parent Ministry/Department/ Organization to which they belong.

6. The Committee may, if necessary, with prior approval of the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation, co-opt member(s) or invite Government / Non-Government expert(s) for dealing with any specific issue and problem relating to different subjects to seek their advice. If the co-opted member(s)/expert(s) is/are non-official member(s),then they would be entitled for TA/DA and sitting fees etc. as prescribed in the above para 4.

7. The expenditure on conducting the meetings of the Committee and the payments/reimbursements etc. made to non-official members would be borne by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, CSO, New Delhi under the Head of Account 3454 (Major head).

8. The Committee will submit its report within one year. They may also submit interim reports, as necessary.

9. Secretarial assistance to the committee will be provided by the National Accounts Division, Central Statistics Office, Ministry of Statistics & P.I.

10. The notification will come into force with immediate effect.

11. This issues with the concurrence of Integrated Finance Division vide its Dy. No. 18699 dated 12.6.2018.

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.06.28 16:06:54 +05'30'